न्यायमूर्ति एस एस सुधालकर और मेहताब गिल के समक्ष

संजीव कुमार गुप्ता-याचिकाकर्ता

बनाम

पी.ओ.एल., सी-II, फ़रीदाबाद और अन्य-प्रतिवादी

CWP 1999 का क्रमांक 13663

1 नवंबर, 2000

औद्योगिक विवाद अधिनियम. 1947–धारा 2(एस) - एक अकाउंट्स एक्जीक्यूटिव/लेखा कार्यकारी की पर्यवसान - वाउचर / चेक का विवरण तैयार करने के लिए एक लेखा कार्यकारी के कर्तव्य - प्रबंधकीय / प्रशासनिक शक्तियां प्रदत्त नहीं, - क्या यह अधिनियम के अनुसार धारा 2 (एस) के तहत प्रदान की गई 'कर्मचारी' की परिभाषा के अंतर्गत आती है - अभिनिर्धारित किया कि, हाँ - यदि कोई व्यक्ति कुछ पर्यवेक्षी कर्तव्यों का पालन करता है, तो वह 'कर्मचारी' नहीं रहेगा - कार्य की प्रकृति का निर्धारण किसी व्यक्ति को मिलने वाले भत्तों से नहीं किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि यदि हम 'कर्मचारी' की परिभाषा को समग्र रूप से देखें, तो पर्यवेक्षी कार्य उन कर्तव्यों में से एक है जो कर्मकार को करना होता है। अन्य प्रकार के कार्य हैं जैसे लिपिकीय, तकनीकी, परिचालन आदि। उन प्रकार के कार्यों के लिए, जहां तक कमाई क्षमता का सवाल है, उन्हें कर्मकार की परिभाषा से बाहर करने की कोई सीमा नहीं है। किसी आदमी को मिलने वाले भत्तों से काम की प्रकृति का आकलन करना खतरनाक होगा। कार्य की प्रकृति उसे उसके पद के आधार पर आवंटित की जाती है। याचिकाकर्ता वाउचर/चेक का विवरण तैयार करने का काम कर रहा था और उसके पास कोई प्रबंधकीय/प्रशासनिक शक्तियाँ नहीं थीं। यह नहीं दर्शाया गया कि याचिकाकर्ता का क्या विशिष्ट कार्य था। ऐसा होने पर और याचिकाकर्ता के पद को कथित तौर पर आवंटित हुए कार्य से, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता एक 'कर्मचारी' था जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत आता है। इसलिए, श्रम न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को कर्मकार अभिनिर्धारित किया।

(अनुच्छेद)

सी. एम. चोपड़ा, याचिकाकर्ता के वकील
ए.एस. चड्ढा, प्रतिवादी संख्या 2 के वकील

फैसला

न्यायमूर्ति एस.एस. सुधालकर

(1) यह याचिका कर्मचारी द्वारा श्रम न्यायालय दिनांक 7 अप्रैल, 1999 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है (कॉपी अनुलग्नक पी/6), - जिसके तहत श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता "कामगार" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम (बाद में इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2(एस) के तहत प्रदान किया गया है। अतः रेफरेंस को प्रारंभिक निष्कर्ष पर निपटाया गया, हालांकि, याचिकाकर्ता को सिविल कोर्ट में राहत मांगने की सलाह दी गई थी।

(2) याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसे 29 अक्टूबर, 1988 को मेसर्स केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्ति आदेश (अनुलग्नक पी/एल) के माध्यम से वरिष्ठ लेखा सहायक (सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट) के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने अपनी छह महीने की परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली थी और उसके बाद उसकी सेवा में पुष्टि की गई। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वर्ष 1995 में केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मेसर्स व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी प्रतिवादी नंबर 2 ने सभी संपत्तियों, देनदारियों, कर्मियों, सामग्री, प्रबंधन, प्रशासन और कार्यात्मक नियंत्रण के साथ अपने कब्जे में ले लिया था। याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें यथावत रहीं। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि उनके पद को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा समान स्थिति, पद, कर्तव्यों और समान लेखा विभाग में दिनांक 16 अक्टूबर, 1995 के आदेश द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 1995 से "लेखा कार्यकारी/ अकाउंट्स एक्जीक्यूटिव" के रूप में पुनः नामित किया गया था। याचिकाकर्ता को 3 सितंबर, 1996 को सेवा से हटा दिया गया था। उसने बर्खास्तगी को चुनौती दी और एक मांग नोटिस दिया और अंततः विवाद को श्रम न्यायालय में भेजा गया, जिसने उपरोक्त निष्कर्ष दिए।

(3) प्रस्ताव की सूचना जारी की गई और प्रतिवादी नंबर 2 उपस्थित हुआ और एक लिखित बयान दाखिल करके याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया। प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार, याचिकाकर्ता की कुल परिलब्धियाँ रु

4,586 प्रति माह, मूल वेतन रु. 2,990 प्रति माह थी। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता अंततः 1 अगस्त, 1995 से लेखा कार्यकारी के रूप में काम कर रहा था और रुपये 5104.60 प्रति माह का वेतन प्राप्त कर रहा था। एक लेखा कार्यकारी के रूप में उनका काम खातों को समेटना और सही करना है जो अनिवार्य रूप से प्रशासनिक या पर्यवेक्षी प्रकृति की नौकरियां हैं। इसमें आगे कहा गया है कि कोई भी लेखा कार्यकारी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, खातों में सुधार और समाधान करेगा और चेक भी तैयार कर सकता है जो उच्च स्तर की गोपनीयता और जिम्मेदारी से संबंधित काम है क्योंकि चेक आपूर्तिकर्ता को जारी किए जाने हैं। और इसलिए, ये कार्य प्रकृति में लिपिकीय नहीं हैं। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता को जब ग्रेड 08 में लेखा सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था तो उसकी परिलब्धियाँ रु. 1621.25 प्रति माह और उन्हें 1852.17. रुपये के वेतन के साथ ग्रेड 09 में लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। आगे यह तर्क दिया गया है कि कार्यकारी संवर्ग में कार्यकारी के रूप में तैनात होने के दौरान, उनकी मासिक परिलब्धियाँ बढ़ाकर रु 4,586 हो गई थी। इसके अलावा, वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सहायता (एलटीसी) के हकदार थे और ये परिलब्धियां कंपनी के ग्रेड 10 अधिकारियों के लिए स्वीकार्य नहीं हैं, जो अधिकारियों के लिए अंतिम ग्रेड है। इसने आगे तर्क दिया कि यदि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता से लिपिकीय प्रकृति के कर्तव्य लेने होते, तो याचिकाकर्ता को इतने उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता।

(4) ''कामगार'' की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(एस) में है, जो इस प्रकार है:-

"कर्मचारी" का अर्थ है किसी भी उद्योग में नियोजित कोई भी व्यक्ति (प्रशिक्षु सहित), जो किसी भी मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य को भाड़े या इनाम के लिए करता है, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित हों, और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के उद्देश्यों में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप बर्खास्त, सेवामुक्त या छंटनी कर दिया गया हो, या जिसकी बर्खास्तगी, सेवामुक्ति या छंटनी के कारण ऐसा हुआ हो। विवाद, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है:-

(i) जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है; या

(ii) जो पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित होने पर, प्रति माह एक हजार छह सौ रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करता है या कार्यालय से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति या उसमें निहित शक्तियों के व्यक्ति द्वारा मुख्य रूप से कार्य करता है। प्रबंधकीय प्रकृति।" (जोर दिया गया)।

(5) यदि याचिकाकर्ता पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत था, तो उसे मिलने वाली परिलब्धियों को देखते हुए उसे "कर्मचारी" शब्द की परिभाषा से बाहर रखा गया होता। हालाँकि, अगर हम समग्र रूप से "कर्मचारी" की परिभाषा को देखें, तो पर्यवेक्षी कार्य उन कर्तव्यों में से एक है जो कर्मकार को करना होता है। अन्य प्रकार के कार्य हैं जैसे लिपिकीय, तकनीकी, परिचालन आदि। उन प्रकार के कार्यों के लिए, जहां तक कमाई क्षमता का सवाल है, उन्हें कर्मकार की परिभाषा से बाहर करने की कोई सीमा नहीं है। हमारे सामने दी गई दलीलें इस बिंदु पर हैं कि क्या याचिकाकर्ता के कर्तव्य प्रकृति में लिपिकीय थे या कार्यकारी थे।

(6) याचिकाकर्ता के वकील ने अर्कल गोविंद राज राव बनाम सिबा गीगी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे (1), के मामले का हवाला दिया है। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां एक कर्मचारी के पास विविध कर्तव्य हैं और यह सवाल उठाया जाता है कि क्या वह "कर्मचारी" है या कर्मकार के अलावा कोई और है, न्यायालय को यह पता लगाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के प्राथमिक और बुनियादी कर्तव्य क्या हैं और उसे संयोगवश कुछ अन्य कार्य करने के लिए कहा जाता है, यह जरूरी नहीं कि यह मूल कर्तव्यों के अनुरूप हो; ये अतिरिक्त कर्तव्य संबंधित व्यक्ति के चरित्र और स्थिति को नहीं बदल सकते। इसमें आगे यह देखा गया है कि व्यक्ति की स्थिति और चरित्र का निर्धारण करते समय रोजगार के प्रमुख उद्देश्य को पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए और कुछ अतिरिक्त कर्तव्यों की चमक को खारिज कर दिया जाना चाहिए। आगे यह देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ पर्यवेक्षी कर्तव्यों का पालन करता है तो वह "कर्मचारी" नहीं रह जाएगा, लेकिन उसे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पर्यवेक्षी क्षमता में लगा हुआ हो।

(7) वर्तमान मामले में, MW-1 श्री डी.एस. भाटिया ने अपने बयान में कहा है, जिसकी प्रतिलिपि अनुबंध पी/7 में प्रस्तुत की गई है, कि याचिकाकर्ता को कार्यकारी के रूप में फिर से नामित किया गया था। गवाह के अनुसार अधिकारियों का पदानुक्रम इस प्रकार है:-

लेखा निदेशक
वरिष्ठ प्रबंधक (लेखा)
प्रबंधक (लेखा)
उप. प्रबंधक (लेखा)
वरिष्ठ कार्यकारी (लेखा)
कार्यकारी (लेखा)
कनिष्ठ कार्यकारी

(8) MW1- ने अपनी जिरह में कहा है कि याचिकाकर्ता के कर्तव्य की प्रकृति आपूर्तिकर्ताओं के बही-खाते आदि की देखभाल करना और स्वतंत्र पर्यवेक्षण करना था। वह चेक तैयार करता था लेकिन चेक पर हस्ताक्षर करने और वाउचर तैयार करने के लिए अधिकृत नहीं था और वाउचर पर हस्ताक्षर करता था। उन्हें नहीं पता कि चेक किसके हस्ताक्षर के लिए जमा किये जाने थे। उन्होंने आगे कहा है कि जूनियर एक्जीक्यूटिव कंपनी में लिपिकीय कार्य करता है। इस गवाह के अनुसार कार्यकारी अधिकारियों का कर्तव्य बही-खाते की निगरानी करना और मिलान करना था। सत्यापन का कार्य किसने किया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि कंपनी में केवल प्रबंधक ही नियुक्तियों, छुट्टी आदि पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। उन्होंने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता के पास किसी को नियुक्त/पर्यवसान करने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। MW-2 श्री डी.पी. शर्मा ने अपने बयान (कॉपी अनुलग्नक पी/8) में कहा है कि याचिकाकर्ता क्लर्क नहीं था, लेकिन उसका कर्तव्य वाउचर, चेक के भुगतान का विवरण तैयार करना था। उसके पास कोई प्रबंधकीय या प्रशासनिक शक्तियाँ नहीं थीं और उसके पास कोई पर्यवेक्षी शक्तियाँ नहीं थीं। जहां तक बैंक समाधान विवरण तैयार करने के कार्य का संबंध है, अरकल गोविंद राज राव (सुप्रा) के मामले में यह निर्णय के पैरा संख्या 9 में निम्नानुसार देखा गया है: -

> "9. इसके बाद श्रम न्यायालय ने अपीलकर्ता की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक अन्य परिस्थिति की जांच की। नियोक्ता की ओर से कहा गया कि अपीलकर्ता को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने का काम भी करना होगा। यह देखा गया कि स्टेटमेंट के सामंजस्य को कुशल या अकुशल, मैनुअल या लिपिकीय नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसके लिए रचनात्मकता, कल्पना और दिमाग के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है और इसलिए, ऐसा काम

करने वाला कोई भी व्यक्ति श्रमिक नहीं होगा। यह दृष्टिकोण बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के गठन की समझ की कमी को दर्शाता है। जब कोई पार्टी खाता खोलती है, तो वह क्रेडिट और निकासी करती रहती है। बैंक एक आवर्ती खाता (रेकरिंग अकाउंट) रखता है। अपनी निरंतर निगरानी के लिए खाता खोलने वाली पार्टी अपनी पुस्तकों पर एक संबंधित खाता खोल सकती है। यह देखने के लिए कि क्रेडिट और निकासी में कोई त्रुटि नहीं है और शेष राशि नियमित अंतराल पर निकाली जाती है, दोनों पक्षों के खातों में आंकड़ों का मिलान किया जाता है। यह लिपिकीय कार्य के सबसे यांत्रिक प्रकारों में से एक है। हालाँकि, श्रम न्यायालय एक त्रुटि में पड़ गया जब इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि अपीलकर्ता को बैंकों के रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कहा गया था, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम श्रम न्यायालय, 1976 एलआईसी 918 (दिल्ली) के फैसले पर गौर किया, जिसमें बजटीय स्टेटमेंट की तैयारी को रचनात्मकता की आवश्यकता वाले कार्य के रूप में माना गया था, और श्रम न्यायालय ने बजटरी स्टेटमेंट के उस फैसले का उल्लेख करने के बाद इसे एक ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू किया जिसका बजटीय स्टेटमेंट की तैयारी से कोई लेना-देना नहीं था बल्कि उसका काम केवल बैंक के रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पोर्न रूप से यांत्रिक कार्य करने के लिए था। श्रम न्यायालय ने इस प्रकार एक पूरी तरह से विकृत निष्कर्ष दर्ज किया। यह श्रम न्यायालय द्वारा किए गए रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से एक गंभीर त्रुटि है जिसने हमारी सोच को प्रभावित किया है।"

(9) नियुक्ति आदेश, जिससे याचिकाकर्ता को कथित कार्यकारी पद दिया गया, वह तारीख 16 अक्टूबर, 1995 का है, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी/3 पर है। याचिकाकर्ता को जिस कार्य को करने की आवश्यकता थी उसका स्वरूप आदेश में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। केवल इतना ही उल्लेख है कि वह संगठन के कार्यकारी कैडर में तैनात थे। उसमें उल्लिखित शर्त वेतन और भत्तों के संबंध में है न कि कार्य की प्रकृति के संबंध में। किसी भी/नियम/निर्देश/संकल्प निर्देश से ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया है कि कोई विशेष कार्य कार्यपालिका, यानी जिस पद पर याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया था, के द्वारा किया जाना है। प्रतिवादी नंबर 2 के वकील ने लिखित बयान में दिए गए कथनों का उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता रुपये 4,000 प्रति माह तक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.ए. का हकदार था। और यह

कि ये परिलब्धियां कंपनी के ग्रेड 10 अधिकारी के लिए भी स्वीकार्य नहीं हैं, जो अधिकारियों का अंतिम ग्रेड है और यदि प्रतिवादी नंबर 2 को केवल याचिकाकर्ता से लिपिकीय कर्तव्य लेना था, तो याचिकाकर्ता को इस तरह पदोन्नत नहीं किया गया होता उच्च परिलब्धियों के साथ उच्च पद। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के पद से उच्च स्तर की गोपनीयता की अपेक्षा की जाती है जिसे लिपिकीय प्रकृति का कर्तव्य नहीं माना जा सकता है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता अपने गवाहों के बयानों के अनुसार पर्यवेक्षी कर्तव्य निभा रहे थे।

(10) बयान में, याचिकाकर्ता संजीव कुमार,WW- 2 (कॉपी अनुलग्नक पी/10) ने अपनी जिरह में कहा है कि उसके जूनियर चेक/वाउचर तैयार कर रहे थे। उन्होंने माना है कि स्टाफ और अन्य कर्मियों के भत्ते में कुछ अंतर है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कर्मचारियों को डीए और अन्य प्रोत्साहन, दूध, साइकिल, विशेष गुण भत्ते, सब्जी और अन्य प्रोत्साहन आदि मिल रहे हैं या नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें नहीं पता कि कर्मचारियों को कुछ प्रोत्साहन भी मिल रहा है या नहीं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें उक्त प्रोत्साहन/भत्ते नहीं मिल रहे हैं।

(11) किसी आदमी को मिलने वाले भत्ते से काम की प्रकृति का आकलन करना खतरनाक होगा। कार्य की प्रकृति उसे उसके पद के आधार पर आवंटित की जाती है। प्रतिवादी के साक्ष्य में जो आया है वह यह है कि याचिकाकर्ता वाउचर/चेक का विवरण तैयार करने का काम कर रहा था और उसके पास कोई प्रबंधकीय/प्रशासनिक शक्तियाँ नहीं थीं। प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा यह नहीं दर्शाया गया कि याचिकाकर्ता का क्या विशिष्ट कार्य था। ऐसा होने पर और याचिकाकर्ता के पद पर कथित रूप से आवंटित कार्य से, अर्कल गोविंद राज राव (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांत के साथ मिलकर जो निष्कर्ष निकाला जाना है वह यह है कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत कवर किया गया एक "कर्मचारी" था । इसलिए, हम श्रम न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। परिणामस्वरूप श्रम न्यायालय का निर्णय रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को कर्मकार अभिनिर्धारित किया गया है। मामले के अन्य पहलुओं पर कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए मामले को श्रम न्यायालय में भेज दिया गया है। यदि कोई पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, यदि आवेदन

उचित समय में किया जाता है, तो श्रम न्यायालय को उन्हीं पर विचार करना चाहिए। पक्षों को 13 नवंबर, 2000 को श्रम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने होगा।

(12) यह रिट याचिका 1 उपरोक्त शर्तों में स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा